रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257187
CG-DL-E-14092024-257187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3610] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946
No. 3610] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

दूरसंचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

का.आ. 3948(अ).—दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) (उक्त अधिनियम) की धारा 24 की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन सृजित सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि, नियत दिन से "डिजिटल भारत निधि" होगी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (क) उपबंध करता है कि "नियत दिन" से ऐसी दिन अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत करे;

और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2408(अ), तारीख 21 जून, 2024 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 10 से धारा 30, धारा 42 से धारा 44, धारा 46, धारा 47, धारा 50 से धारा 58, धारा 61 और धारा 62 के उपबंध 26 जून, 2024 से प्रवृत्त हुए;

और उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि डिजिटल भारत निधि मानी जाने वाली धनराशि, जो धारा 3 के अधीन प्राधिकार के अनुसरण में संदत्त की गई है, डिजिटल भारत निधि में जमा की जाएगी;

और उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) उपबंध करती है कि सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि के मद्दे संदेय रकम नियत दिन अर्थात् 26 जून, 2024 से पूर्व अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन संदेय सभी रकमों को डिजिटल भारत निधि के मद्दे संदेय रकम माना जाएगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकार प्रदत्त किए जाने तक, डिजिटल भारत निधि को 26 जून, 2024 को या उसके पश्चात् प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के अधीन सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि के मद्दे संदेय धनराशि जमा कराने में कठिनाई उद्भूत हो सकती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा पहुंचा सकती है;

और उपरोक्त उल्लिखित कठिनाई उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न हुई है और उक्त कठिनाइयों को दूर करना समीचीन है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) उक्त आदेश का संक्षिप्त नाम दूर संचार (कठिनाइयां दूर किया जाना) आदेश, 2024 है।

(2) यह आदेश 26 जून, 2024 को प्रवृत्त होगा और-

(i) उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों के प्रवृत्त होने और नियमों, जो उक्त उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं, बनाए जाने तक; और

(ii) उक्त आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख से दस मास के अवसान तक,

जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेंगे।

2. डिजिटल भारत निधि में धनराशि का जमा किया जाना.- (1) 26 जून, 2024 को या उसके पश्चात् प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के मद्दे संदेय धनराशि, इस आदेश के प्रवृत्त होने तक डिजिटल भारत निधि में जमा की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के मद्दे 26 जून, 2024 को या उसके पश्चात् भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्तियों की बाबत की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयां, उक्त अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्रवाइयां समझी जाएंगी।

[फा. सं. 17-01/2020-आरईएसटीजी.(वाल्यूम IV)]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

ORDER

New Delhi, the 13th September, 2024

S.O. 3948(E).— Whereas, sub-section (1) of section 24 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) (the said act), *inter alia*, provides that the Universal Service Obligation Fund created under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) shall, from the appointed day, be the "Digital *Bharat Nidhi*";

And whereas, clause (a) of section 2 of the said Act provides that "appointed day" means such date as the Central Government may, by notification, appoint under sub-section (3) of section 1 of the said Act;

And whereas, *vide* notification number S.O. 2408(E), dated the 21st June, 2024, the provisions of sections 1, 2, 10 to 30, 42 to 44, 46, 47, 50 to 58, 61 and 62 of the said Act came into force with effect from the 26th day of June, 2024;

And whereas, sub section (2) of section 24 of the said Act provides that the sums of money attributable to the Digital *Bharat Nidhi* that is paid pursuant to an authorisation under section 3, shall be credited to the Digital *Bharat Nidhi*;

And whereas, sub section (4) of section 24 of the said Act provides that all amounts payable under licences granted prior to the appointed day, that is, the 26th June, 2024, towards the Universal Service Obligation, shall be deemed to be the amounts payable towards the Digital *Bharat Nidhi;*

And whereas, till such time authorisations are granted in accordance with the provisions of section 3 of the said Act, difficulty may arise in crediting sums of money payable towards Universal Service Obligation Fund under the licenses granted on or after 26th June, 2024 to the Digital *Bharat Nidhi*, which may hinder in achieving the objectives under section 25 of the said Act;

And whereas, the aforementioned difficulty have arisen in giving effect to the provisions of the said Act and it is expedient to remove the said difficulty;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Telecommunications (Removal of Difficulties) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the 26th of June, 2024, and shall be in force —

(i) till such time all the provisions of the said Act come in force and the rules, which are necessary to give effect to the said provisions, are made; or

(ii) till the expiry of 10 months from the date on which this order comes into force,

whichever is earlier.

2. Credit of sums of money to Digital *Bharat Nidhi*.— (1) The sums of money payable towards Universal Service Obligation under licences granted on or after the 26th June, 2024, shall be credited to the Digital *Bharat Nidhi* till such time this order is in force.

(2) All actions that may be taken by the Central Government in respect of licences granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) on or after the 26th June, 2024 towards Universal Service Obligation shall be deemed to be actions taken under the said Act.

[F. No. 17-01/2020-Restg.(Vol IV)]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.14 17:11:22 +05'30'